में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 13/2018

अनवानः—

मंहगा सिंह पुत्र हरनाम जाति बावरी सा.मल्लड़खेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 आशा राम पुत्र मंहगासिंह जाति बावरी सा.0 मल्लडखेडा तह0 टिब्बी।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 9.3.18 बअदालत तहसीलदार टिब्बी।

उपस्थितः— 1 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:निर्णयः—

दिनांकः —17.09..2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दी कि रेस्पोडेंट सं0 2 ने चक 8 एमकेएस के प0नं0 189/220 ,189/221 कि0नं0 16,17,22,24,25 कुल 1.037 है0 सरकारी भूमि पर फसल रबी सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने के कथन किये। रेस्पो0 सं0 1 ने उक्त प्रकरण दर्ज कर रा 22 के नोटिसजारी किये व भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर निलाम करने हेतु लेखा। रेस्पो0 सं0 2 ने उक्त प्रकरण में हाजिर होकर यह कथन किए कि उपरोक्त भूमि स्पो0 सं0 2 के आधिपत्य व धारण में नहीं है बल्कि उपरोक्त भूमि अपीलांट के आधिपत्य व रण में है तथा यह भी कथन किया कि उपरोक्त आराजी के संबंध में उपखण्डाधिकारी टिब्बी समक्ष अपीलांट ने कार्यवाही की हुई है तथा यह निवेदन किया कि रेस्पो0सं0 2 के विरूद्ध टिस की कार्यवाही ड्राप की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9.3.18 को उपरोक्त भूमि खडी फसल को कुर्क करने व नीलाम करने के आदेश पारित किए। उपरोक्त भूमि अपीलांट आधिपत्य व धारण में है। यह भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज थी। जो दिनांक 16.11.09 राज्य सरकार सिवाय चक दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि पर पुराने समय से अपीलांट का कब्जा ला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि के संबध में उपखण्डाधिकारी टिब्बी के समक्ष र्यवाही कर रखी है। रेस्पो0 1 द्वारा पारित आदेशसे अपीलांट के हित विपरीत रूप से भावित हैं तथा अपीलांट उक्त आदेश से व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्षकार निम्न आधारों र अपील प्रस्तुत कर रहा हैः—

अपर जिला कलक्टर

...कि रेस्पो0 सं0 1 ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया है । रेस्पो0 सं0 2 ने अपने जबाब नोटिस में यह स्पष्ट कथन किये कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा अपीलांट का है। इसके बावजूद भी रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित कियाहै जो अपास्त योग्य है।

ग–कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया है । जबकि अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि कें संबंध में मा0 उपखण्डाधिकारी टिब्बी के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ कर रखी है। जिसका ज्ञान रेस्पो0 स0 1 को शुरू से ही है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का हक व अधिकार है या नहीं इस संबंध में मा. न्यायालय उपखण्डाधिकारी को निर्णय पारित करना है। अपीलांट सद्भावी है। अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि की खातेदारी लेने हेतु नियमानुसार जरिये चालान राशि जमा करवा दी है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी नहीं है। लेकिन रेस्पो0 सं0 1 ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

घ–कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य हेतु कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। रेस्पो0 1 ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अहम भूल की है।

अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 09.3.18 को अपास्त करने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी व रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का पुराना कब्जा है व इसकी खातेदारी करवाने बाबत प्रकरण उपखण्डाधिकारी टिब्बी में विचाराधीन है। साथ ही यह भी कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में स्थगन हेतु प्रा0पत्र 212 आरटीए उपखण्डाधिकारी टिब्बी में प्रस्तुत किया जो दिनांक 3.4.18 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में पेश की गयी जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 9.4.18 के आदेश से वर्णित आराजी की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। आगामी पेशी 3.10.18 तक स्थगत प्रभावी है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में जो रिकार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं वह वर्ष 1993 तक की है उसके बाद आदिनांक तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इस बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज है। रकबा राज पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित है। इसलिए अपीलन अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करना विधि अनुसार उचित नहीं है। यहां तक प्रकरण उपखण्डाधिकारी टिब्बी में विचाराधीन होने का प्रश्न है उसके सबंध मे वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन होने बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है जो रिकार्ड अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह वर्ष 1993 तत्समय पुनर्वास विभाग का प्रस्तुत किया गया है। जहां तक न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.4.18 का प्रश्न है उसके अनुसार उपखण्डाधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 3.4.18 प्र0सं0 17/18 मंहगा सिंह बनाम तहसीलदार में वर्णित आराजी की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखने बाबत है चूंकि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर साधिकार कब्जा है। यह नाजायज कब्जा की श्रेणी में आता है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 09.03.18 यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official